भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1353

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य उत्पादों पर लेबल की पैकेजिंग

1353. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छूट प्राप्त श्रेणियों में खाद्य और पेय पदार्थों की सूची को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त मानदण्डों तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा परिभाषित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय और संस्थानों से परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन विशेषज्ञों और संस्थानों से परामर्श किया गया है;

(ग) क्या सभी हितधारकों द्वारा हितों के संबंध में टकराव को पूर्ण रूप से प्रकट करके उसे सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल (एफओपीएल) को देश में सभी खाद्य, पेय पदार्थों और दुग्ध उत्पादों के लिए अनिवार्य किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किन-किन वैज्ञानिक कारणों पर विचार किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियम, 2020 अधिसूचित किया है, जिसमें पैक किए गए खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित की गई हैं। विनियम में पोषक तत्वों और अनुशंसित दैनिक जरूरतों (आरडीए) में उनके योगदान को पोषण संबंधी सूचना के रूप में पैक के पीछे प्रतिशत में प्रदर्शित करने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाया जा सके। खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के लिए इन विनियमों के अनुसार खाद्य पैकेज को लेबल करना अनिवार्य है। मानदंड कोडेक्स में दिए गए प्रावधान के अनुसार हैं कि "पोषक-तत्व घोषणा अन्य सभी पूर्व-पैक खाद्य पदार्थों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, सिवाय

उन मामलों को छोड़कर जहां राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी घोषणाओं का समर्थन नहीं करती हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को छूट दी जा सकती है, उदाहरण के लिए पोषण या आहार की महत्वहीनता या छोटी पैकेजिंग के आधार पर"। इसके अलावा, ऐसे छूट वाले उत्पादों की सूची वैश्विक प्रथाओं के आधार पर बनाई गई थी।

लेबलिंग/विज्ञापन और दावों पर उक्त विनियमन वैज्ञानिक पैनल द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) – राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), भारतीय आहार संघ आदि जैसे प्रसिद्ध संस्थानों के वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल रहे और हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए मसौदा अधिसूचित किया। उद्योग संघ (भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग परिसंघ (सीआईएफटीआई) - फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ (आईवीपीए), वैज्ञानिक निकाय (एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया (एएफएसटीआई), प्रोटीन फूड्स एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएफएनडीएआई), उपभोक्ता संगठनों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने के बाद प्रारूप विनियम को अंतिम रूप दिया गया और अधिसूचित किया गया। हालांकि, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियमन, 2020 को बनाने में शामिल सभी वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों के हितों का उल्लेख किया गया है।

*****